न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र कुमार, आरजेएस,
डी.जे. केडर

दांडिक अपील संख्या:- 55/2026

शैलेंद्रसिंह पुत्र हरीसिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी 104, गजेन्द्र नगर योजना, पाल बालाजी, जोधपुर (राज.)

. . . .अपीलार्थी

बनाम

01. सरकार जरिये लोक अभियोजक, पाली (राज.)
02. सरकार जरिये रसद अधिकारी, पाली (राज.)
03. सरकार जरिये अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट, पाली (राज.)

. . . .रेस्पोंडेंट्स

दांडिक अपील याचिका अंतर्गत धारा 6सी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 विरुद्ध अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2026 बअनवान सरकार बनाम भोमसिंह वगैरह, प्रकरण संख्या 56/2026 पाली अपराध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित:-

1. श्री प्रहलाद सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।

आदेश

दिनांक 06.06.2026

1. उक्त अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 503 बीएनएसएस बाबत सुपुर्दगीनामा पर वाहन रिलीज करने का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करने के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली के आदेश दिनांक 21.05.2026 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दिनांक 29.05.2026 को पेश की गई है, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.10.2025 को पुलिस थाना गुडा एन्दला से प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ग्राम रामपुरा की ढाणी में स्थित कालूराम मीणा के बाड़े का निरीक्षण किया गया। मौके पर थानाधिकारी घेवराराम मय पुलिस जाब्ता उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान कुल 130 व्यावसायिक गैस सिलेंडर (52 खाली एवं 78 भरे हुए), 3 इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीनें, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा एक TATA लोडिंग टेम्पो RJ GF 6413 बरामद हुए। मौके पर उपस्थित आलम, अजीतसिंह एवं सुन्दरलाल ने पूछताछ में बताया कि उक्त परिसर नरेन्द्र प्रजापत द्वारा किराये पर लिया गया है तथा उसके निर्देशन में गैस सिलेंडरों का भण्डारण, रिफिलिंग एवं विक्रय किया जाता है। मौके पर किसी प्रकार का लाइसेंस, परमिट, बिल-वाउचर अथवा अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जांच में गैस सिलेंडरों का अवैध भण्डारण, रिफिलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग पाया गया, जिसके फलस्वरूप समस्त सिलेंडर, रिफिलिंग मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं TATA लोडिंग टेम्पो RJ GF 6413 जब्त कर कब्जे में लिये गये, जिसे रिलीज करने हेतु अपीलार्थी की ओर से आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा यह अपील याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में डी.एस.ओ. पाली ने प्रार्थी का रजिस्ट्रेशनसुदा वाहन TATA लोडिंग टेम्पो RJ 19 GF 6413 को वजह सबूत अपनी तहवील में लिया है जो पुलिस कस्टडी में है। उक्त वाहन के विरुद्ध राजसात की कार्यवाही वर्तमान में प्रारंभ नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जुर्माना भी अधिरोपित नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण की तफतीश के दौरान अब उक्त विभाग को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं रही है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशनसुदा स्वामी है। उक्त जब्तसुदा वाहन पुलिस थाना गुडा एन्दला में खुले में बिना देखभाल के पड़ा है, जिसकी सही ढंग से देखभाल नहीं होने से वाहन के रंग रोगान, टायर ट्यूब मशीनरी आदि के खराब होने का अन्देशा है। उक्त वाहन के अभाव में प्रार्थी को प्रतिदिन का आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा अत्यधिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी उक्त वाहन प्राप्त करने हेतु आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने के लिये तैयार है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.202 को निरस्त कर जब्त शुदा वाहन को रिलीज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

Swaroop
Stenographer
"Authenticated Document"

4. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का खंडन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए तर्क दिया कि जब्तशुदा वाहन को अंतरिम सुपुर्दगी पर छोड़े जाने से लंबित जब्ती कार्यवाही प्रभावित होगी एवं अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रस्तुत अपील याचिका खारिज करने का निवेदन किया।

5. अपील पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई, आक्षेपित आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में मुख्य रूप से यह अंकन किया गया है कि *"यह भी विचारणीय है कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही वर्तमान में लम्बित है। जब किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है, तब सामान्य सुपूर्दगी सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग सीमित एवं सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त State of Karnataka vs k.A. Kunchindammed, (2002) 9 SCC 90 में यह प्रतिपादित किया है कि विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात न्यायालय की अन्तरिम सुपूर्दगी सम्बन्धी शक्तियां सीमित हो जाती है तथा वाहन को सुपूर्द करना सम्भावित जब्ती कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकता है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त State of West Bengal vs Sujit Kumar Rana, (2004) 4 SCC 129 में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि जहा वाहन विशेष अधिनियम के अधीन जब्ती योग्य हो, वहाँ न्यायालय द्वारा वाहन रिलीज करने में अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त Divisional Forest Officer vs G.V. Sudhakar Rao, (1985) 4 SCC.573 में यह प्रतिपादित किया गया कि विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती योग्य वाहन को अन्तिरम रूप से छोडना अधिनियम की मंशा एवं सार्वजनिक हित के विपरीत हो सकता है। यह तथ्य भी अत्यन्त महत्वूपर्ण है कि एलपीजी गैस अत्यधिक ज्वलनशील एवं खतरनाक पदार्थ है तथा अवैध रिफिलिंग एवं भण्डारण से गम्भीर दुर्घटना, आगजनी, विस्फोट एवं जनहानि की प्रबल सम्भावना रहती है। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी एवं कालाबाजारी को बढ़ावा देती है बल्कि आमजन के जीवन एवं सम्पति के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न करती है। अतः अपराध में प्रयुक्त वाहन को समयपूर्व छोड़ा जाना जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा के प्रतिकूल होगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन को वर्तमान अवस्था में सुपूर्द कर दिया जाता है तो उसके पुनः समान अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। साथ ही वाहन में उपलब्ध सम्भावित भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित है। वाहन छोड़े जाने पर उसके स्वरूप अथवा पहचान में परिवर्तन कर दिए जाने की सम्भावना भी बनी रहती है, जिससे भावी राजसात आदेश निष्प्रभावी हो सकता है। एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ है अतः उसका अवैध पुनर्भरण व्यापक जनसुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न करता है। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं अवैध वितरण व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना राज्य की वैधानिक जिम्मेदारी है। अतः ऐसे मामलों में*

*न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाना विधिक नियंत्रण व्यवस्था एवं लोकहित दोनों के प्रतिकूल होगा। **अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों, लम्बित जब्ती कार्यवाही, वाहन के अपराध में प्रत्यक्ष उपयोग, साक्ष्य संरक्षण की आवश्यकता, जनसुरक्षा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वर्तमान अवस्था में जब्तशुदा वाहन को अन्तरिम सुपूर्दगी पर छोड़ा जाना न्यायहित, लोकहित एवं विधि के अनुरूप नहीं होगा।"*** "इस प्रकार उक्त आक्षेपित आदेश में मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्ती (राजसात) कार्यवाही लंबित है, जब्तशुदा वाहन अपराध में प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है, वाहन को अन्तरिम सुपुर्दगी पर छोड़े जाने से प्रस्तावित जब्ती कार्यवाही निष्प्रभावी होने, साक्ष्यों के प्रभावित होने तथा वाहन के पुनः अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त होने की सम्भावना है तथा जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से भी वाहन को वर्तमान अवस्था में सुपुर्द किया जाना उचित नहीं है, अपीलार्थी/प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने सम्पूर्ण आदेश में कहीं पर भी इस संदर्भ में विवेचन नहीं किया कि उक्त ट्रक को अंतरिम सुपुर्दगी पर छोड़े जाने पर वह किस प्रकार लंबित जब्ती कार्यवाही को प्रभावित करेगा एवं किस प्रकार साक्ष्यों के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जबकि वाहन सुपुर्दगी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **Sunderbhai Ambalal Desai vs State Of Gujarat,** AIR 2003 SUPREME COURT 638 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं किः-

> *"In our view, whatever be the situation, it is of no use to keep such-seized vehicles at the police stations for a long period. It is for the Magistrate to pass appropriate orders immediately by taking appropriate bond and guarantee as well as security for return of the said vehicles, if required at any point of time. This can be done pending hearing of applications for return of such vehicles."*

*****

इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण के समान प्रकृति तथा समान तथ्यात्मक परिस्थितियों वाले प्रकरण में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत का रेफरेंस देते हुए अपने न्यायिक दृष्टांत Vinod Kumar & Anr. vs State of Rajasthan, S.B. Cri. Misc. (Pet.) No.5833/2024 [2024:RJ-JD:36220] में यह मत अभिव्यक्त किया किः-

Swaroop
Stenographer
"Authenticated Document"

> *"7. In the event of petitioner is unable to manage depositing of Rs. 1,50,000/-, it would result in the vehicle to continue to be in the custody of the investigative agency. It transpires that the vehicle has been in custody since 22.07.2023. Needless to say, the same would turn into a complete junk by the time the trial is concluded.*
>
> *8. In the aforesaid premise, I am of the view that the impugned order dated 24.07.2024 de-serves to be modified. Vehicle in question is di-rected to be released upon fresh filing of the application by the peti-tioner and instead of imposing penalty of Rs.1,50,000/-, the same is modified to the extent that petition-ers shall furnish a guarantee of an equivalent amount of penalty i.c. Rs.1,50,000/- to the learned trial court with an undertaking that they will not sell the vehicle, during pendency of the proceedings, should the need arise to recover the penalty through coercive means in case their defence is not accepted on conclusion of trial."*

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह वैधानिक स्थिति उभरकर आती है कि जब्त वाहन को अनिश्चितकाल तक पुलिस अथवा अनुसंधान एजेंसी की अभिरक्षा में रखना विधि की मंशा नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक पड़े रहने से वाहन अनुपयोगी होकर कबाड़ में परिवर्तित हो जाता है। अतः न्यायालय का दायित्व है कि राज्य के हितों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वाहन स्वामी के संपत्ति एवं आजीविका संबंधी अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करे तथा वाहन को उपयुक्त बंधपत्र, गारंटी, प्रतिभूति अथवा undertaking के अधीन अंतरिम सुपुर्दगी में छोड़े।

उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि जब्ती की दिनांक से प्रश्नगत वाहन पुलिस थाना गुड़ा एंदला में खुला पड़ा हुआ है, जिसके रंग-रोगन, टायर, मशीनरी एवं अन्य यांत्रिक भागों के समय के साथ खराब एवं अनुपयोगी होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि रसद विभाग, पाली एवं पुलिस थाना गुड़ाएंदला पाली द्वारा उक्त वाहन को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उल्लंघन के आरोप में जब्त किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत वाहन के संबंध में किसी प्रकार की जुर्माना राशि अधिरोपित किया जाना अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होता है। अतः उक्त समस्त परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचना तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.05.2026 अपास्त किए जाने योग्य प्रतीत होता है तथा अपीलार्थी/प्रार्थी के वाहन को उपयुक्त शर्तों, बंधपत्र एवं सुपुर्दगीनामा के अधीन अंतरिम सुपुर्दगी में छोड़ा जाना न्यायोचित, विधिसम्मत एवं न्यायहित में प्रतीत होता है।

आदेश

6. परिणामतः अपीलार्थी **शैलेंद्रसिंह पुत्र हरीसिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी 104, गजेन्द्र नगर योजना, पाल बालाजी, जोधपुर (राज.)** की ओर से प्रस्तुत अपील एतद्द्वारा **स्वीकार** की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक **21.05.2026** को **अपास्त** किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत **वाहन** TATA **लोडिंग टेम्पो** RJ 19 GF **6413** के संबंध में 5,00,000/- रुपये (अक्षरे पांच लाख रुपये) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का जमानतनामा निम्न शर्तो पर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर तस्दीक करवा ले तो उक्त वाहन अंतरिम सुपुर्दगी में अपीलार्थी के पक्ष में रिलीज कर दिया जावेः-

(1) इस प्रकरण के अंतिम निर्णय तक उक्त वाहन को किसी अन्य को बेचान, हस्तांतरण अथवा खुर्दबुर्द नहीं करेगा।

(2) इस प्रकरण के अंतिम निर्णय तक उक्त वाहन का रंग रोगन व भौतिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा।

(3) अधीनस्थ न्यायालय जब भी उक्त वाहन को तलब करेगा तब प्रार्थी स्वयं के खर्चे से बिना किसी उजर के उक्त वाहन को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर करेगा।

(4) उक्त वाहन के फोटो खिंचवाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश करेगा।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की एक प्रति सहित लौटाई जावे।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली

7. निर्णय आज दिनांक **06.06.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.15 08:49:00 IST

Swaroop
Stenographer
"Authenticated Document"